न्यायालय उपजिलाधिकारी गौरीगंज जनपद अमेठी

वाद संख्या- 49

अंर्तगत धारा 143 ज0 वि0अधि0
ग्राम अलीपुर परगना गौराजामो
तह0गौरीगंज जनपद अमेठी

श्रीमती मधुरिमा सिंह बनाम ग्रामसभा

निर्णय :-

पत्रावली प्रस्तुत। श्रीमती मधुरिमा सिंह पत्नी अक्षय प्रताप सिंह अध्यक्ष रानी गणेश कुँवरि महाविद्यालय जामो ने ग्राम अलीपुर की गाटा सं0 41/0•1390 व 42/0•3160 व 22मि/0•1710 व 43/0•1640 को कृषि प्रयोजन से भिन्न उपयोग के कारण अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की याचना कियाहै। वाददर्ज करके ग्रामसभा/ राज्य सरकार कों नोटिस दी गयी कोई आपत्ति नहीं आई।

तहसील से स्थलीय आख्या माँगी गयी । हल्का लेखपाल/ रा0नि0 की आख्या दि0 19/20-3-13 के अनुसार व वादी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार गा0 सं0 22मि/0•171 व 41/0•139 व 42/0•317 व 43/0•164 अभिलेखों मे रानी गणेश कुँवरि महाविद्यालय जामो के नाम अंकित है। गाँवसभा/ राज्य सरकार की भूमि नहीहै । उक्त गाटा संख्याओ में महाविद्या भवन निर्मित है कृषि कार्य नही किया जाता है। एवं विवाद रहित है। इस प्रकार उक्त गाटों को कृषि प्रयोजन से भिन्न अकृषिक भूमि घोषित किये जाने का औचित्य सृजित है कोई विधिक बाधा नही है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आलोक मे ग्राम अलीपुर परगना गौराजामो तहसील गौरीगंज की खतौनी वर्ष 1420- 1425 फ0 के खाता संख्या-00137 की गाटा संख्या 22मि/0•1710 व 43/0•1640 लगान परता व खाता संख्या- 00144 की गाटा संख्या 41/0•1390 व 42/0•3160 लगान 7•20 रु0 सम्पूर्ण रानी गणेश कुँवरि महाविद्यालय जामो सुलतानपुर द्वारा श्रीमती मधुरिमा सिंह अध्यक्ष , कृषि प्रयोजन से भिन्न उपयोग होने के कारण अकृषिक भूमि घोषित की जाती है । भूराजस्व परता खाते से खारिज हो। आदेश की प्रति तहसीलदार गौरीगंज को नामान्तर बही व खतौनी मे अंकन हेतु भेजा जाय तथाइसके अनन्तर बनने वाली खतौनियों मे क्रमिक अंकन होता रहे। उपनिबन्धक गौरीगंज को नि:शुल्क पंजीयन हेतु भेजा जाय। वाद औपचारिकता पत्रावलीसंचित हो।

23-3-13

दिनांक-23-3-13

उपजिलाधिकारी,
गौरीगंज- अमेठी

प्रतिलिपि

उपनिबन्धक गौरीगंज को द्वारा जिला रजिस्ट्रार उ0प्र0 इस आशय के कि धारा 143 ज0वि0अ0 के प्राविधानानुसार नि:शुल्क पंजीयन हेतु तथा धारा137 की व्यवस्थानुसार यथालिखित मिसिलबन्द रजि0 की क्रमसंख्या व दिनांक अंकित हो।

दिनांक-23-3-13

उपजिलाधिकारी,
गौरीगंज- अमेठी ।